कम्प्यूटर नम्बर-0708124 दिनांक----------

पत्र संख्या-न्याय-5(1)-एस0एल0पी0 / 2007-08 / 1787 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर-प्रदेश

(वाद अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 23 :: जनवरी :: 08

1- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

2- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वर्तमान समय में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट/पुनरीक्षण में दिये गये निर्णय के विरुद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका योजित किये जाने का प्रस्ताव सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर(उ0न्या0कार्य) द्वारा मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उच्च न्यायालय की राय के साथ शासन को प्रेषित किया जाता है । विशेष अनुज्ञा याचिका योजित करने का अंतिम निर्णय शासन स्तर पर लिया जाता है । यह इस बात की सम्भावना हो सकती है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई ऐसा महत्वपूर्ण विधिक बिन्दु निहित हो, जिसका विभाग के राजस्व पर व्यापक प्रभाव पड़ता हो । अतः ऐसे मामलों का परीक्षण फील्ड स्तर पर भी कराया जाना आवश्यक है । न्याय अनुभाग के परिपत्र संख्या-सी0टी0टी0-न्याय-4-पुनरीक्षण/2007-08/621, दिनांक 16-07-07 के द्वारा प्रत्येक जोन में विधि समिति का भी गठन किया जा चुका है ।

अतः विशेष अनुज्ञा याचिका योजित की जाने वाली उक्त प्रक्रिया में बिना कोई संशोधन किये यह निर्देश दिया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका योजित करने के सम्बंध में, सम्बंधित ज्वा0कमि0(कार्य0) विधि समिति के माध्यम से इन मामलों का विधिवत परीक्षण करते हुये यदि किसी मामले में विशेष अनुज्ञा याचिका योजित किया जाना आवश्यक पाते है तो उसका विधिक प्रस्ताव आधार सहित मुख्यालय के वाद अनुभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे और एक प्रति सम्बंधित ज्वा0कमि0(उ0न्या0कार्य) को भी उपलब्ध करायेंगे । एडी0कमि0ग्रेड-1 अपने स्तर से अपने जोन के समस्त अधिकारियों को उपरोक्त निर्देशों से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे ।

23.1.08

(सुनील कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि -: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- ज्वाइन्ट कमिश्नर(उ0न्या0कार्य)वाणिज्य कर, इलाहाबाद/लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विशेष अनुज्ञा याचिका योजित कराने हेतु प्राप्त उपरोक्त प्रकार के प्रस्तावों का परीक्षण कर, उस पर मुख्य स्थायी अधिवक्ता की राय लेकर शासन एवं मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

2- समस्त कर-निर्धारण अधिकारी, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।